PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

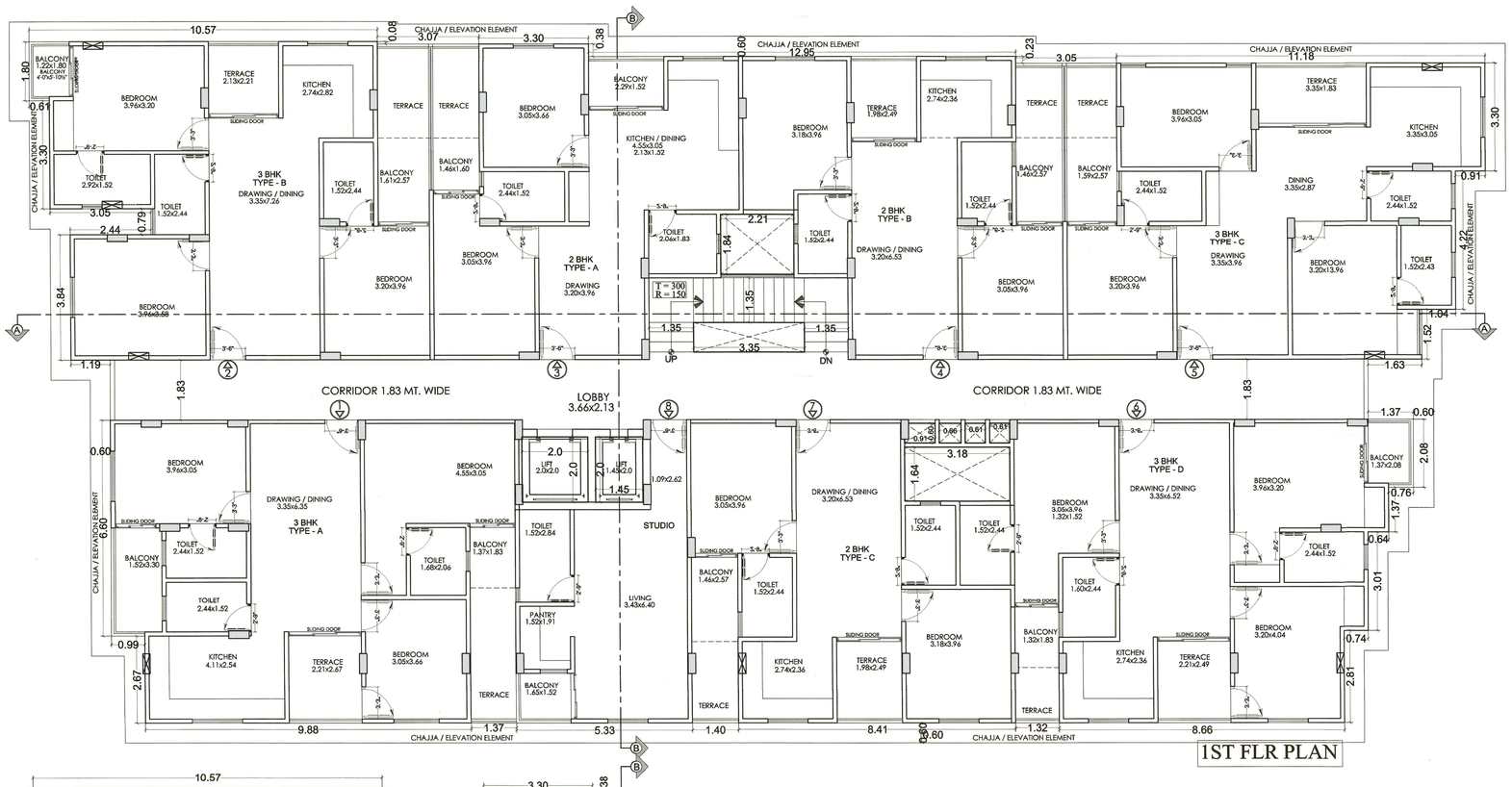

1ST FLR PLAN

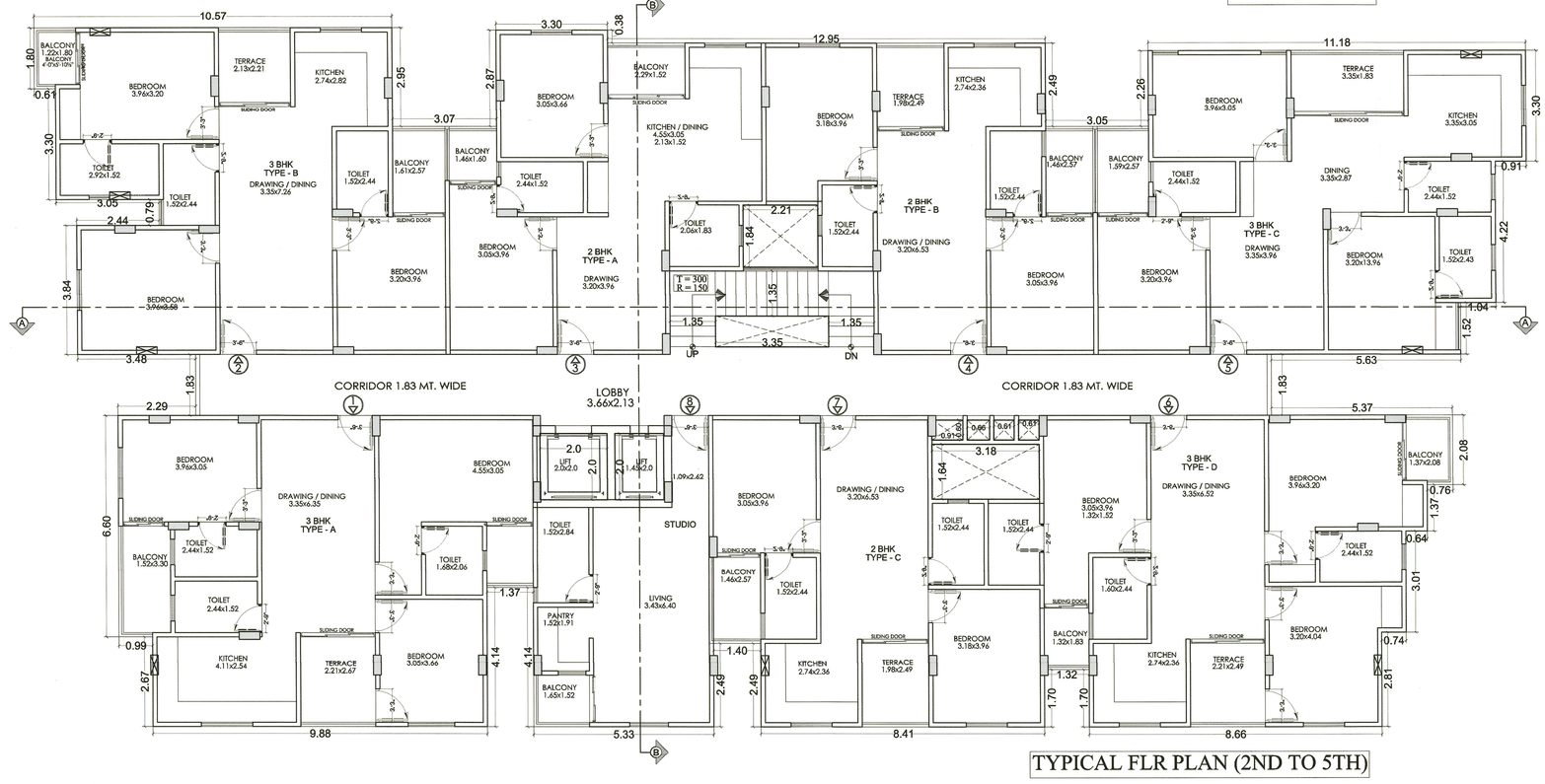

TYPICAL FLR PLAN (2ND TO 5TH)

अनुमोदित

इन मानचित्रों का अनुमोदन किसी भी प्रमाणित भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और न ही भूमि के किसी भी स्वामित्व संबंधित अधिकार को प्रदान करेगा। अनुमोदित किये गये मानचित्र में दर्शाये गये भवन निर्माण की संरचना (Structure) का अभियंता, संरचनात्मक मानचित्रों के अनुसार आगे कार्य करेगा।

DDA अपार्टमेंट के सभी आवासीय/संस्थागत भूखण्डों में बैठके पर भवन निर्माणकर्ता द्वारा सुविधा मानचित्र की प्रति जन समता को अपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन Objection की उपलब्ध भवन की उपलब्धि। साथ ही भवन के अन्दर के तकनीकी भवन मानचित्र के विपरीत निर्माण DDA नहीं देगा केवल समाधान बाबी से संबंधित मानचित्र प्राप्त करने वाले प्लेन से एक सप्ताह में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

समता भू नियंत्रण ईमारत/कॉलोनी/ग्रुप हाउसिंग इमारतों एवं व्यावसायिक/संस्थागत भवनों से जल लगते ही अपार्ट ही पूर्व सूचना भेजने वाले सोसायटियों को जो लाइन प्राप्त करना अनिवार्य है।

नगरीय भू-उपयोग (लचीले क्षेत्र) भवन नियमन, 2020 के नियम 7 के तहत निर्धारित के अनुसार सार्वजनिक स्थान से भिन्न प्रयोजन अनुमत्य है जिसे सरकारी को सूचित किया जाना आवश्यक है। जिसका भवन निर्माण के दिनांक पश्चात्वाला कार्यों को सरकारी।

SHEET NO. - 2/5

TITLE:-
1ST FLR PLAN
&
TYPICAL FLR PLAN

1ST FLR PLAN
&
TYPICAL FLR PLAN

NORTH :

SCALE : 1= 100

DATE : 25-09-23

PROJECT:-
PROPOSED APARTMENT
AT KHASRA NO. - 340/1, BINDAYAKA, JAIPUR.

SIGN :
ARCHITECT
Ar. Jitendra Sharma
72, Sardar Patel Marg, Opp. CPMG
Office C-Scheme, Jaipur (Raj.)-302001
CA/2009/45196
CTP RAJ./Architects/2021/32

SIGN :
OWNER
PREVIEW BUILDTECH PVT. LTD.
Director

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT